आडिट- समयबद्ध

स्पीड पोस्ट

संख्या-3579/9-1-13-

प्रेषक,

राजेश बहादुर
अनु सचिव
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बरेली /कानपुर नगर/कानपुर देहात/बस्ती/सिद्धार्थनगर/बदायूं/औरैया/पीलीभीत/शाहजहांपुर/
संतकबीर नगर/कन्नौज/ इटावा एवं फर्रुखाबाद

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 8 जुलाई, 2013

विषय : स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग के वार्षिक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 से 2010-2011 तक में उल्लिखित आडिट आपत्तियों पर व्याख्यात्मक टिप्पणी उपलब्ध कराये जाने के संबध में।

महोदय,

अवगत ही हैं कि स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा नगरीय निकायों का वर्ष 1999-2000 से 2010-2011 तक वार्षिक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों में नगरीय निकायों के संबध में कतिपय आडिट आपत्तियां की गयी हैं।

2. अवगत कराना है कि उक्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में नगरीय निकायों (नगर पंचायतों) के संबध में की गयी आडिट आपत्तियों पर व्याख्यात्मक टिप्पणी अभी तक शासन को प्राप्त नहीं हुयी है, जिससे उक्त प्रतिवेदनों पर अग्रतर कार्यवाही नहीं की सकी है।

3. अस्तु, इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग उ0प्र0 द्वारा वर्ष 1999-2000 से 2010-2011 तक वार्षिक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों में आपके जनपद से नगर पंचायतों के संदर्भ में की गयी, आडिट आपत्तियों के संबध में व्याख्यात्मक टिप्पणी (सी0डी0 अथवा पेन ड्राइव में भी) अपनी संस्तुति सहित निम्न प्रारूप में, विशेष वाहक के माध्यम से शासन को दि0 10 जुलाई, 2013 तक अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें:

क्र0सं0	आडिट आपत्ति का प्रस्तर	व्याख्यात्मक टिप्पणी

प्रकरण में पूर्व में ही अत्यधिक विलम्ब हो चुका है, अतएव व्यक्तिगत ध्यान निवेदित है।

भवदीय,

(राजेश बहादुर)
अनु सचिव।

संख्या- 3579 (1)/9-1-13-तद्‌दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए, अपने स्तर से भी संबधित को निर्देशित करते हुए, उक्त व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, संबधित जनपद (द्वारा जिलाधिकारी) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए, समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये।
3. वेवमास्टर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त संबधित को ई-मेल किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

आज्ञा से,

(राजेश बहादुर)
अनु सचिव।